

प्रेषक,
एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

रोवा में,
निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 1/ अगस्त, 2015

विषय:-शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना"(आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1521/76/एक/2013-14 दिनांक 15 जुलाई, 2015 व संख्या-1636/76/एक/2013-14 दिनांक 22 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत निदेशक, सूडा के निवर्तन पर रखी धनराशि से वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-गोण्डा की निकाय गोण्डा की 600 आवासों की 01 परियोजना, जनपद-कन्नौज की निकाय-कन्नौज, समधन व सिकन्दरपुर की 384 आवासों की 04 परियोजनाओं, जनपद गिर्जापुर की निकाय अहरौरा की 72 आवासों की 01 परियोजना, जनपद इटावा की निकाय-इटावा की 108 आवासों की 01 परियोजना, जनपद-कानपुर नगर की निकाय-घाटमपुर की 840 आवासों की 01 परियोजना, जनपद-मुरादाबाद की निकाय-ठाकुरद्वारा, बिलारी व भोजपुर धर्मपुर की 492 आवासों की 03 परियोजनाओं एवं जनपद-लखीमपुर खीरी की निकाय लखीमपुर व बरबर की 216 आवासों की 02 परियोजनाओं अर्थात् उक्त जनपदों की कुल 2712 आवासों की कुल 13 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-1359/69-1-13-09(आसरा)/2013 दिनांक 09 सितम्बर, 2013 द्वारा रु0 8027.52 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु0 4013.76 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त जनपदों में से केवल जनपद-कानपुर नगर की न0पा0प0, घाटमपुर की कुल 840 आवासों की 01 परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रु0 1243.20 लाख (रुपये बारह करोड़ तीतालिस लाख बीस हजार मात्र) की द्वितीय/अंतिम किस्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या	परियोजना की कुल आवासीय लागत	द्वितीय/अंतिम किस्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	कानपुर नगर	न0पा0प0, घाटमपुर	840	2486.40	1243.20
योग			840	2486.40	1243.20

(रुपये बारह करोड़ तीतालिस लाख बीस हजार मात्र)

जी जी सिंह / जी सी शर्मा

19/8/15
6pm

19/8/15

12. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शरान को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
13. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलाज महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
14. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण ड्रकड से यथावस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत 02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी भादेशों के तहत किये जा रहे हैं।


भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-7148/2015/1832(1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कालपुर नगर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त निगंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. मार्ट फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।